UPKU010039032020

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1, कुशीनगर,स्थान–पडरौना।
पीठासीन अधिकारी– (इफ़राक अहमद), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06193
फौजदारी निगरानी संख्या–106/2020,

आयशा खातुन उम्र 56 वर्ष पत्नी रसूल
ग्राम–सेमरा हर्दो, थाना–कुबेरस्थान, जनपद–कुशीनगर।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. उ०प्र० राज्य। ... ...प्रतिउत्तरदाता प्रथम पक्ष
2. तैबुन पत्नी रसूल
साकिन– सेमरा हर्दो, थाना– कुबेरस्थान, जिला– कुशीनगर।

... .उत्तरदाता द्वितीय पक्ष

निर्णय

1– उपरोक्त फौजदारी निगरानी वाद संख्या–5397/2017, आयशा खातून बनाम उ०प्र० सरकार, धारा–145 दं०प्र०सं०, थाना–कुबेरस्थान, जनपद–कुशीनगर में न्यायालय उप जिलाधिकारी पडरौना जिला– कुशीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.11.2020 से क्षुब्ध होकर योजित की गयी है।

2– संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता आदेश अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 27.11.2020 खिलाफ वाक्यात् खिलाफ कानून है और निरस्त होने योग्य है। हम निगरानीकर्ता द्वारा एक वाद अर्न्तगत धारा 145 दं०प्र०सं० अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस कथन के साथ दाखिल किया गया कि हम निगरानीकर्ती के पति रसूल दो शादी किए थे। पहली पत्नी हम निगरानीकर्ता तथा दूसरी पत्नी प्रतिउत्तरदाता द्वितीय पक्ष तैबुन है रसूल के सम्बन्ध से हम निगरानीकर्ती को एक पुत्र नबी आलम व एक पुत्री पैदा हुई तथा प्रति उत्तरदाता द्वितीय पक्ष को एक पुत्र व चार पुत्रिया पैदा हुई। जिसका विवादित आराजीयात स्व० रसूली की पूर्वजीय सम्पत्ति है जिसमें हम निगरानीकर्ती का ½ अंश व ½ अंश प्रतिउत्तरदाता द्वितीय पक्ष का है और इसी के मुताबिक उभय पक्षो के बीच में वटवारा हो गया है और उभय पक्ष अपने अपने अंश पर काविज दखिल अध्यासित है लेकिन प्रतिउत्तरदाता द्वितीय पक्ष एक नाजायज गोल कायम कर हम निगरानीकर्ती के हक व हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहती है व विवादित सम्पत्ति को विक्रय कर देना चाहती है तथा निर्माण करना चाहती है बराबर कब्जे को लेकर विवाद है तथा मौके पर शान्तिभंग है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा थाने से रिपोर्ट तलब की गयी और थाना कुबेरस्थान की रिपोर्ट दिनांक 29.08.2017 को प्रेषित की गयी जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मृतक

रसूल पुत्र फागू के हिस्सेदारी को लेकर दोनो पक्षों में कशीदगी बनी हुई है मृतक रसूल के अंश के सम्बन्ध में धारा 145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त समस्त तथ्यो की उपेक्षा करते हुए प्रश्नगत आदेश सरसरी तौर पर पारित करते हुए धारा–145 (1) दं०प्र०सं० की कार्यवाही समाप्त की गयी है जो कि कानूनन गलत है। उभय पक्षों के बीच में विवादित सम्पत्ति के बावत कब्जे को लेकर विवाद बना हुआ है तथा थाना कुबेरस्थान के रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उभय पक्षों के बीच में कब्जे को लेकर विवाद है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य की उपेक्षा करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। मूल वाद सं०–319/2017 नबीआलम बनाम तैबुनिशा वसीयतनामा दिनांक 03.08.2015 के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) कुशीनगर में विचारधीन है उक्त वाद में विवादित सम्पत्ति का कोई विवाद नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल वाद सं०– 319/2017 का उल्लेख करते हुए कि दिवानी न्यायालय में वाद विचाराधीन है। प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्त होने योग्य है। सिविल न्यायालय में वाद का विचाराधीन रहते हुए भी राजस्व न्यायालय में धारा 145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही चलेगी। अधिनस्थ न्यायालय का ध्यान इस तरफ कराया गया लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया गया जो कि निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करते समय अपने निहित क्षेत्राधिकार का सम्यक प्रयोग नहीं किया गया है तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत फौजदारी निगरानी स्वीकार किया जावे तथ आदेश अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 27.11.2020 निरस्त करने की कृपा किया जावे। समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3– विपक्षी संख्या–02 तैबुन निशा की ओर से आपत्ति 12क दाखिल करके यह कथन किया गया है कि निगरानी मेमो में अंकित तथ्य कानून एवं वास्तविकता के विपरीत है और निरस्त होने योग्य है। निगरानीकर्ता ने सही एवं वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए निगरानी दाखिल किया है। वास्तविकता यह है कि रसूल पुत्र फागू की दो शादी हुई थी, पहली पत्नी आयशा खातून तथा दूसरी पत्नी तैबुननिशा है। रसूल व आयशा खातून के बीच तलाक दिनांक 18.09.1982 को हो गया और इस तथ्य को रसूल ने स्वयं आयशा खातून बनाम रसूल अन्तर्गत धारा 125 सी.आर.पी.सी. के मुकदमे में दाखिल जबाबदेही दिनांक 03.02.2006 में स्पष्ट रूप से किया है। इसके अतिरिक्त पंचनामा दिनांक 15.02.2008 में भी आयशा खातून ने अर्सा कई वर्ष पूर्व रसूल पुत्र फागू से तलाक होना स्वीकार किया है, जिसपर अन्य लोगों के अलावा रसूल का हस्ताक्षर व आयशा खातून का निशानी अंगूठा बना हुआ है। तलाक के बावजूद भी आयशा खातून मुकदमा रसूल पुत्र फागू से लड़ती रही और रसूल पुत्र फागू की सम्पत्ति से कोई वास्ता सरोकार आयशा खातून का नहीं रहा और न है। रसूल पुत्र फागू ने आ०नं0 1277 रकबा 04 डिस्मिल, 1278 रकबा 25 डिस्मिल, 1338 रकबा 24 डिस्मिल, 1339 रकबा 23 डिस्मिल, कुल 76 डिस्मिल में अपना 1/2 अंश यानी 38 डिस्मिल भूमि का बैनामा दिनांक 24.0,1.2002 को प्रार्थिनी तैबुननिशा के पक्ष में करके कब्जा दखल करा दिया तथा अपनी शेष समस्त सम्पत्ति का पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 03.08.2015 को तैबुननिशा स्त्री रसूल व रिजवान पुत्र रसूल के पक्ष में करके अपना वारिस नियुक्त किया, जिसके आधार पर रसूल के मरने

के बाद उनके शेष समस्त चल अचल सम्पत्ति पर तैबुननिशा व रिजवान स्वामीस्वरूप वरासतन काबिज दखील चले आ रहे हैं।6. यह कि उक्त बैनामा दिनांक 24.01.2002 तथा वसीयतनामा दिनांक 03.08.2015 के आध् द्वार पर तैबुननिशा तथा तैबुननिशा व रिजवान का नाम क्रमशः बैनामाशुदा भूमि व वसीयतशुदा भूमि पर दर्ज कागजात हो चुका है। चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 08.06.2017 तैबुननिशा बनाम रसूल अन्तर्गत धारा 9 क (2) चकबन्दी अधिनियम द्वारा वसीयतशुदा भूमि पर दर्ज हो चुका है। विवादित भूमि पर तैबुननिशा व रिजवान स्वामीस्वरूप अधिकृत व अध्यासित हैं। आयशा खातून का कोई कब्जा दखल न कभी रहा है और न है। वसीयतनामा मंसूखी का मुकदमा वाद संख्या 319/2017 नबी आलम बनाम तैबुननिशा न्यायालय सिविल जज "जू०डि०" कुशीनगर स्थान पडरौना लम्बित है, जिसमें विवादित सम्पत्ति भी शामिल है। निगरानीकर्ता का यह कथन गलत है कि उक्त वाद में विवादित सम्पत्ति का कोई विवाद नहीं है। पुलिस रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि रसूल की सम्पत्ति के सम्बन्ध में पक्षों के बीच हिस्सेदारी को लेकर विवाद है। इस प्रकार मामला रसूल की वरासत व रसूल की सम्पत्ति के सम्बन्ध में सहखातेदारी का है और सह खातेदारी के मामले में धारा 145 जा०फौ० की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालय ने विधिक तौर पर सिविल वाद के लम्बित होने के कारण धारा 145 जा०फौ० की कार्यवाही पोषणीय नहीं पाते हुए कार्यवाही समाप्त करने का आदेश पारित किया है। निगरानीकर्ता द्वारा अवर न्यायालय में दाखिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 145 जा०फौ० से भी यह पूर्णतया स्पष्ट है कि पक्षों के मध्य रसूल की सम्पत्ति के सम्बन्ध में हिस्सेदारी का विवाद है और हिस्सेदारी का विवाद कत्तई धारा 145 जा०फौ० के अन्तर्गत कानूनन पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालय का आदेश विधि के अनुसार पारित आदेश है। निगरानी हर सूरत से निरस्त होने योग्य है।

4– न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता व विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

5– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान उपजिला मजिस्ट्रेट पडरौना के न्यायालय में आयशा खातून ने तैबुन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिनांकित 20.07.2017 इस आशय का दाखिल किया गया कि आ०नं०–1231 रकवा 0.065, आ०नं० 1268 रकवा 0.085, आ०नं० 1269 रकवा 0.093 हे०, आ०नं० 1270 रकवा o.o93, आ०नं० 1272 रकवा 0.012, आ०नं० 1275 रकवा 0.085, आ०नं० 1276 रकवा 0.081, आ०नं० 1277 रकवा 0.081 हे० स्थित मौजा सेमरा हर्दो, तप्पा चौरा बढ़गांव, तहसील पडरौना स्थित है। तथा उक्त आराजी वादी प्रथम पक्ष व प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पूर्वजों द्वारा उपार्जित भूमि है। जिसमें उभयपक्षों को ½ अंश है। उभयपक्षों के मध्य खानगी बंटवार हो चुका है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष अपने हिस्से से अधिक भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर विक्रय कर देना चाहती है जिसको लेकर बराबर पक्षों के बीच झगड़ा होता रहता है। अन्त में धारा–145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही कर प्रश्नगत आरोजियात जब्त करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। सम्बन्धित थाना कुबेरस्थान द्वारा यह रिपोर्ट प्रेषित की गयी है कि ''ग्राम सेमरा हर्दो थाना कुबेरस्थान के स्व० रसूल पुत्र फागू ने दो शादी किये थे। पहली शादी श्रीमती आयशा खतून से किये, जिनसे एक लड़की व एक

लड़का पैदा हुआ। उसके बाद आयशा खातुन को तलाक दे दिया, फिर दूसरी शादी श्रीमती तैबुननिशा के साथ, जिसमें एक लड़का व चार लड़कियां है। उसके पश्चात् रसूल की मृत्यु हो गयी। मृतक रसूल पुत्र फागू के अंश के हिस्सेदारी को लेकर दोनों पक्षों में कशीदगी बनी हुई है। मृतक रसूल के अंश के संबंध में धारा–145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी है, शान्ति बनाने रखने हेतु आपसी बंटवारा होने तक धारा–146 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित किया गय है।'' प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा आपत्ति कर प्रार्थिनी आयशा खातून का प्रार्थना पत्र निरस्त करने की याचना की गयी थी। विद्वान अवर न्यायालय ने सुनने के पश्चात् इस आशय का आदेश पारित किया गया है कि ''उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि विादित भूमि पर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का स्वत्व आधारित है। दीवानी न्यायालय में योजित वाद संख्या–319/2017 विचाराधीन है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित फौजदारी वाद 1434/2008 (JIR 20 (216) पृष्ठ 21) चेदू व अन्य बनाम समशुद्दीन व अन्य में दी गयी विधि व्यवस्था ''दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–145 और 146(1) के अंतर्गत कार्यवाही प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में कोई सिविल वाद लम्बित है तो कार्यवाही आरम्भ या जारी नहीं रखी जायेगी। अगर निकट भविष्य में शांति भंग की आशंका है तो उसके निवारण हेतु धारा–107 और 116 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकेगी न की धारा–145 दं०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही पोषणीय नहीं–निगरानी खारिज।'' अग्रेतर यह भी निष्कर्ष दिया गया है कि ऐसी स्थिति में कोई आदेश पारित किया जाना माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना होगी। अन्ततः उपजिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया है। निःसंदेह थाना कुबेरस्थान की ओर से यह रिपोर्ट प्रेषित की गयी है कि दोनो पक्षों के माध्य कशीदगी विद्यमान है। उल्लेखनीय है कि अवर न्यायालय के समक्ष उभयपक्षों के साक्ष्य संकलित किये गये है। तदोपरान्त सम्यक विचार के उपरान्त उपरोक्त आदेश पारित किया गया है। धारा–145 दं०प्र०सं० के अंतर्गत उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है जहाँ भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशान्ति भंग होना सम्भाव्य है, दूसरे शब्दों जब कभी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का, पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तिला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से सम्बद्ध ऐसा विवाद विद्यमान है, जिससे परिशान्ति भंग होना सम्भाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुये और ऐसे विवाद से सम्बद्ध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुये लिखित आदेश देगा कि वे विर्निदिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या प्लीडर द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो, और विवाद की विषय बस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारें में अपने–अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। प्रस्तुत मामले में उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा सुसंगत साक्ष्य संकलित करते हुये उभयपक्षों को समुचित अवसर देते हुये प्रथम दृष्ट्या आदेश पारित किया है। उभयपक्षों के मध्य सिविल वाद विचाराधीन है। यह निगरानीकर्ता के मध्य कशीदगी/तनाव विद्यमान है। विद्वान उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा–145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही करने के लिये बाध्य हो । निगरानीकर्ता को यह भी स्वीकार है कि आयशा व तैबुन रसूल की पत्नी है। दोनों पत्नी से संताने पैदा हुयी है। प्रश्नगत आराजी के संबंध में पक्षकारों के माध्य बंटवारा हो चुका और अपने–अपने अंश पर काबिज है। इस संबंध में सिविल वाद विचाराधीन है। यह भी समीचीन

है कि सिविल वाद विचाराधीन है, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा समानान्तर प्रक्रिया अपनाकर कोई निष्कर्ष दिया जाना यद्यपि वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होगा। सिविल वाद वाद संख्या–317/2019 विचाराधीन है जैसा कि उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा उल्लेख किया गया है तनाव व कशीदगी के संबंध में धारा–107,116 दं०प्र०सं० कार्यवाही करने के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट सक्षम है। धारा–145 दं०प्र०सं० की कार्यवाही अग्रसारित करने के जो आवश्यक शर्त 145 दं०प्र०सं० के अंतर्गत उल्लेखित है, उक्त शर्ते कदापित विद्यमान नहीं है। विद्वान उपजिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो निष्कर्ष दिया गया है वह पूर्णतया विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता, अशुद्धता नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रथम दृष्ट्या कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, प्रस्तुत निगरानी में बल व आधार प्रतीत नहीं होता है।

विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने निहित क्षेत्राधिकार में रहते हुये विधिक मस्तिष्क का प्रयोग कर विधि संगत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, तद्नुसार प्रस्तुत फौजदारी निगरानी बलहीन पाते हुए निरस्त किये जाने व विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.11.2020 अभिपुष्ट किये जाने योग्य है।

आदेश

उपरोक्त कारणों से फौजदारी निगरानी संख्या 106/2020 आयशा खतुन बनाम उ०प्र० सरकार खारिज की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय के द्वाराप्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.11.2020 की अभिपुष्टि की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को उचित कार्यवाही हेतु वापस हो। फौजदारी निगरानी नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक/कुशीनगर।
मार्च 30, 2026

(इफराक अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1,
कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।
I.D.No.UP06193

यह निर्णय व आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया है।

दिनांक/कुशीनगर।
मार्च 30, 2026

(इफराक अहमद)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं० 1,
कुशीनगर, स्थान–पड़रौना।
I.D.No.UP06193

Digitally signed by IFRAQUE AHMAD
Date: 2026.03.30 16:21:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court